पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई0पी0नं0-3005
क्रमांक- 61 /2017
आरबीई सं0- 30 /2017
सं0 ई/9/10/भाग- VII/चार

दिनांक 7-04-2017

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:- रेल कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अदायगी- 01.01.2017 से लागू संशोधित दरें।

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या पीसी-VII/2016/1/7/2/1 दिनांक 31.03.2017 की अंग्रेजी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

07.04.17
(ए0 के0 सिंह)
उपमुकाधि/अराज.
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर - 40 प्रतियों में।
2- महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
3- महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
4- महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर0-02 प्रतियों में।
5- मुकार्याधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु - 01 प्रति में।

07.04.17
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
Ministry of Railways (Rail Mantralaya)
(Railway Board)

S. No. 17/PC-VII

RBE No.: 30 /2017

File No. PC-VII/2016/I/7/2/1

New Delhi, dated: 31 / 03 /2017

The General Manager/CAOs(R),
All India Railways & Production Units,
(As per mailing list)

Sub: - Grant of Dearness Allowance to Central Government employees – Revised Rates effective from 01.01.2017.

The undersigned is directed to refer to this Ministry's letter RBE No 131/2016 dated 11.11.2016 (F. No. PC-VII/2016/I/7/2/1) on the subject mentioned above and to say that the President is pleased to decide that the Dearness Allowance payable to Railway employees shall be enhanced from the existing rate of 2% to 4% of the basic pay with effect from 1st January, 2017.

2. The term 'basic pay' in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed Level in the Pay Matrix as per 7th CPC recommendations accepted by the Government, but does not include any other type of pay like special pay, etc.

3. The Dearness Allowance will continue to be distinct element of remuneration and will not be treated as pay within the ambit of Rule 1303 (FR 9(21)), Indian Railway Establishment Code, Volume –II (Sixth Edition – 1987) – Second Reprint 2005.

4. The payment on account of Dearness Allowance involving fractions of 50 paise and above may be rounded to the next higher rupee and the fractions of less than 50 paise may be ignored.

5. The payment of arrears of Dearness Allowance shall not be made before the date of disbursement of salary of March, 2017.

6. This issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

8. Hindi version will follow.

(Jaya Kumar G)
Deputy Director, Pay Commission-VII
Railway Board

File No. PC-VII/2016/I/7/2/1

New Delhi, dated: 31 / 03 /2017

Copy (with 40 spares) forwarded to the A.D.A.I., Railways, New Delhi.

For Financial Commissioner, Railways

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/ RAILWAYS BOARD)

*****

सं.17/पीसी.VII
फाइल सं. पीसी.VII/2016/I/7/2/1

आरबीई सं.30/2017
नई दिल्ली, दिनांक 31/03/2017

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर)
सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां.
(डाक सूची के अनुसार)

विषयः-केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का भुगतान- 01.01.2017 से प्रभावी संशोधित दरें।

अधोहस्ताक्षरी के उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक-11.11.2016 के पत्र सं. आरबीई नं.131/2016 (फाइल सं. VII/2016/I/7/2/1) का हवाला देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति जी ने विनिश्चय किया है कि रेल कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते को 1 जनवरी, 2017 से मूल वेतन के 2% से बढ़ाकर 4% किया जाए।

2. संशोधित वेतन संरचना में 'मूल वेतन' शब्दों का आशय सरकार द्वारा स्वीकृत सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पे मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में आहरित वेतन से है, परन्तु इसमें किसी अन्य प्रकार का वेतन जैसे कि विशेष वेतन आदि शामिल नहीं है।

3. महंगाई भत्ता, परिलिब्धियों का Distinct तत्व बना रहेगा और इसे भारतीय रेल स्थापना संहिता, वॉल-II (छठा संस्करण-1987)- दूसरा पुनर्मुद्रण 2005 के नियम 1303 (एफआर 9(21)) की परिधि में वेतन नहीं माना जाएगा।

4. मंहगाई भत्ते के भुगतान के संदर्भ में 50 पैसे और उससे ज्यादा के अंश को अगले उच्चतर रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा और 50 पैसे से कम के अंश को छोड़ दिया जाएगा।

5. महंगाई भत्ते के बकाए का भुगतान मार्च, 2017 के वेतन के संवितरण से पहले नहीं किया जाएगा।

6. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

(जया कुमार जी)
उप निदेशक, वेतन आयोग-VII
रेलवे बोर्ड